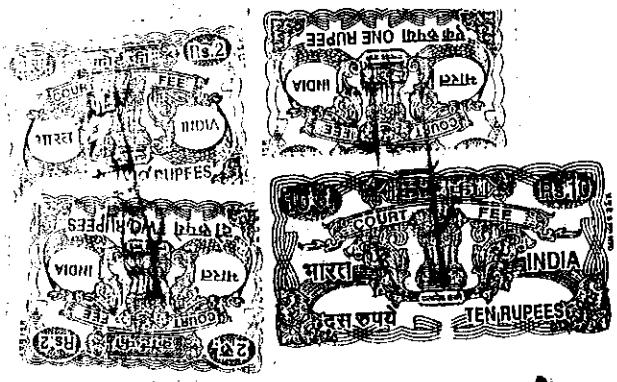

209

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२०१३ रिव्यू – 3079 II/13

जाहर पुत्र श्री कल्याण अहिरवार, आयु ३० वर्ष,
निवासी ग्राम बिनायका तहसील बन्डा, जिला
सागर (म०प्र०) ---- आवेदक

बनाम

१) मोहनलाल पुत्र [illegible] अहिरवार, आयु ७० वर्ष,
निवासी ग्राम बिनायका, तहसील बन्डा,
जिला सागर

२) म०प्र० शासन ---- अनावेदकगण

पुनरावलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक २१-५-१३ पारित द्वारा श्री एम०के०सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक १६३०।III।१३ पुनरीक्षण [illegible] मोहनलाल बनाम म०प्र० शासन आदि।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यह कि, ग्राम बिनायका, तहसील बन्डा, जिला सागर की तहसील न्यायालय बन्डा द्वारा कोटवारी पद हेतु उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया, कोटवारी पद हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए। जिस पर से आवेदक जाहरसिंह अहिरवार ने ग्राम बिनायका की कोटवारी पद हेतु तहसील न्यायालय बन्डा में आवेदन पत्र जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया आवेदक के अलावा अन्य कोई आवेदन कोटवारी पद हेतु प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण निर्णय [illegible] किया गया।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 3079–दो/15 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-11-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 1630–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 21–5–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	